



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017-पौष 1, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता प्रभु दयाल राय तनय श्री स्व. लल्लूराय, निवासी छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर मध्यप्रदेश का हूँ जो कि निम्न कथन शपथपूर्वक करता हूँ:-

1. यह कि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं वाणिज्यकर विभाग में सेवारत था तथा मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम प्रभुदयाल दहायत दर्ज है. जो मेरी अंकसूची में दर्ज है.
2. यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि दहायत एवं राय दोनों ही जातियां हैं राय व दहायत एक ही जाति है. अलग-अलग नहीं है राय लोग दहायत भी लेख करते हैं जो पहले दहायत लिखा करते थे इसलिए मेरी जाति दहायत लेख है.
3. यह कि अब मैं अपने नाम के आगे दहायत के स्थान पर राय लेख करवाना चाहता हूँ. इसलिए मेरा नाम प्रभुदयाल राय लेख किया जाये. मेरे अन्य सभी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय-पत्र, पेनकार्ड आदि में राय (प्रभुदयाल राय) दर्ज है इसलिये यही नाम लेख किया जाये.
4. यह कि प्रभुदयाल दहायत एवं प्रभुदयाल राय दोनों मेरे ही नाम हैं अलग-अलग व्यक्तियों के नाम नहीं हैं.

यदि इस संबंध में किसी को आपत्ति है तो 7 दिवस के भीतर कारण सहित बतायें.

पुराना नाम :

(प्रभुदयाल दहायत)

(556-बी.)

नया नाम :

(प्रभुदयाल राय)

तनय श्री स्व. लल्लूराय,
निवासी-सर्टई रोड, छतरपुर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, भंवरलाल जाति चमार, उम्र 56 वर्ष, पिता स्व. श्री शंकरलाल चमार, निवासी ग्राम जिलहरी, पोस्ट-ग्वारीघाट, तहसील एवं जिला जबलपुर मध्यप्रदेश निवासी हूँ यह कि मेरा नाम भंवरलाल चमार पिता स्व. श्री शंकरलाल चमार जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज हो गया है. मेरे नाम के साथ जाति चमार है उसके स्थान पर मेरा सरनेम अहिरवार जोड़ा जाये. इस प्रकार मेरा नाम भंवरलाल चमार की जगह सरनेम जोड़कर भंवरलाल अहिरवार पिता स्व. श्री शंकरलाल के नाम से जाना जाए. मेरे शासकीय रिकार्डों में मेरा अब यही नाम पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(भंवरलाल चमार)

(557-बी.)

नया नाम :

(भंवरलाल अहिरवार)

नाम परिवर्तन

मैं, गीता श्रीवास्तव पत्नी सत्य सागर श्रीवास्तव, जन्म दिनांक 28 जुलाई, 1946, निवासी ई-5/148, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016 मध्यप्रदेश है। यह घोषणा करती हूँ कि बैंक रिकार्ड्स एवं अन्य सभी उद्देश्यों के लिये मेरा नाम परिवर्तित नाम गीता रानी श्रीवास्तव हो गया है।

पुराना नाम :

(गीता श्रीवास्तव)

(558-बी.)

नया नाम :

(गीता रानी श्रीवास्तव)

(GEETA RANI SHRIVASTAVA)

नाम परिवर्तन

मैं, श्री राजाराम पाटीदार आत्मज श्री हरीप्रसाद पाटीदार, निवासी 96/2, बावड़ियाकला, भोपाल सर्व-साधारण व हर खास व्यक्ति एवं संस्था को सूचित करता हूँ कि मेरा घरेलू नाम गंगाप्रसाद पाटीदार है तथा मैं परिवार व रिश्तेदारी में गंगाप्रसाद पाटीदार के नाम से जाना जाता हूँ। भू-अभिलेख ऋण पुस्तिका एवं खसरे में भी मेरा नाम गंगाप्रसाद पाटीदार अंकित है। परन्तु शासन द्वारा जारी किये गये समस्त दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, पेनकार्ड इत्यादि में मेरा नाम राजाराम पाटीदार पुत्र श्री हरीप्रसाद पाटीदार है तथा भविष्य में भी मैं राजाराम पाटीदार पुत्र हरीप्रसाद पाटीदार के नाम से ही जाना जाऊंगा। मैं गंगाप्रसाद पाटीदार एवं राजाराम पाटीदार नाम का एक ही व्यक्ति हूँ। सर्व-साधारण एवं हरखास व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों एवं भू-अभिलेख पुस्तिका एवं खसरे में गंगाप्रसाद पाटीदार के स्थान पर राजाराम पाटीदार पुत्र हरीप्रसाद पाटीदार के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(गंगाप्रसाद पाटीदार)

(538-बी.)

नया नाम :

(राजाराम पाटीदार)

पुत्र श्री हरीप्रसाद.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम "प्रियंका ठक्कर" था, जो अब परिवर्तित होकर "प्रियंका गुप्ता" हो गया है। अतः मुझे मेरे परिवर्तित नाम "प्रियंका गुप्ता" पत्नी श्री महेश चन्द्र गुप्ता, के नाम से जाना व पहचाना जावें।

पुराना नाम :

(प्रियंका ठक्कर)

(559-बी.)

नया नाम :

(प्रियंका गुप्ता)

पत्नी श्री महेश चन्द्र गुप्ता,
म. नं. 87, आनंद नगर, चितावद रोड,
इन्दौर-452001 (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Jyoti Chopra W/o Krishnalal Alias Kishanlal Chopra, R/o 268, Scheme No. 74 C/H Indore Madhya Pradesh change my name and shall hereafter known as Nirmala Chopra.

Old Name:

(JYOTI CHOPRA)

(560-B.)

New Name :

(NIRMALA CHOPRA)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम संजय कुमार ढीमर पुत्र श्री किशनलाल था। समस्त दस्तावेजों एवं शासकीय, अंकसूची में मेरा नाम संजय ढीमर है अब मैं अपना नाम बदलकर संजय बर्मन पुत्र किशनलाल कर दिया है। आज से मुझे संजय बर्मन इसी नाम से जाना व पहचान जाये।

पुराना नाम :

(संजय कुमार ढीमर)

(561-बी.)

नया नाम :

(संजय बर्मन)

पता-40, ईशान्त पार्क पटेल नगर,
रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Dropadi Lalwani D/o Shri Moolchand lalwani here by declare that after marriage, I have changed my name as Mrs. kajal Mulchandani W/o Shree Mahesh Mulchandani. I shall be known as Kajal Mulchandani in future for all intents & purposes.

Old Name:
(**DROPADI LALWANI**)
(562-B.)

New Name :
(**KAJAL MULCHANDANI**)
Add :- Plot No. 52, Nirmal Nursery Nr.
Sanskar School Laxman Nagar, Bairagarh,
Dist. Bhopal (Madhya Pradesh).

CHANGE OF NAME

I, Ashish Kumar Shroff here by declare that I have change my name as Ashish Shroff So, from now and in future I will be known by my new name Ashish Shroff.

Old Name:
(**ASHISH KUMAR SHROFF**)
(563-B.)

New Name :
(**ASHISH SHROFF**)
Add :- H. No. 60, Prime City, Sukhliya,
Indore (Madhya Pradesh) 452010.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम आयुषी वर्मा पिता बलवंतसिंह वर्मा था, जो तंवर राजपूत समाज होने से आयुषी तंवर किया गया है. अतः शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम आयुषी तंवर नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(**आयुषी वर्मा**)
(564-बी.)

नया नाम :
(**आयुषी तंवर**)

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप कुमार त्रिपाठी (DILIP KUMAR TRIPATHI) पिता श्री सूर्यबली त्रिपाठी (SURYABALI TRIPATHI) जन्मतिथि 27-05-1964, निवासी गली नं. 4, राजेन्द्र नगर, सतना का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूँ कि मेरा पुराना नाम दिलीप त्रिपाठी (DILIP TRIPATHI) पिता श्री सूर्यबली त्रिपाठी (SURYABALI TRIPATHI) था. जिसे बदलकर मैं अपना नया नाम दिलीप कुमार त्रिपाठी (DILIP KUMAR TRIPATHI) कर लिया हूँ कृपया अब से मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना एवं सम्बोधित किया जाए एवं आगे भी सभी दस्तावेजों दर्ज किया जाए.

पुराना नाम :
(**दिलीप त्रिपाठी**)
(565-बी.)

नया नाम :
(**दिलीप कुमार त्रिपाठी**)
पिता श्री सूर्यबली त्रिपाठी,
निवासी—गली नं. 4, राजेन्द्र नगर,
सतना (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माखीजा डेव्हलपर्स, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00194/12, है. फर्म के भागीदार श्री मुरलीधर माखीजा पिता स्व. ठाकुरदासजी माखीजा अपनी स्वेच्छा से दिनांक 30-11-2016 से फर्म की भागीदारी से पृथक् (रिटायर) हो गये हैं, जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा.

(566-बी.)

फर्म-माखीजा डेव्हलपर्स,
कपिल माखीजा,
(पार्टनर).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s BHAWNA FILLING STATION having the principal place business at Survey No. 224/1, SH No. 26, Balaghat - Seoni State Highway, Lalbarra, Distt: Balaghat, a Partnership firm incorporated on 01/04/1994, having Two Partners named as (1) Shri Rjendra Prasad Sharma, (2) Smt. Kanta Sharma and also Shri Punit Sharma as a minor for benefits of the firm. That with effect from 1st April 2003, a new partnership deed dated 30th April 2003 has been formed due to the reason that Shri Punit Sharma who was earlier the partner in capacity as minor, has attained majority and hence Shri Punit Sharma is full fledged partner in the firm. Thus with effect from 01/04/2013 the Firm. M/s Bhawna Filling state has three Partners namely (1) Shri Rajendra Prasad Sharma, (2) Smt. Kanta Sharma, (3) Shri Puneet Sharma. This Public notice is being published for the purpose of information to be given to office of Registrar of Firms and Society.

Firm M/s Bhawna Filling Station,
RAJENDRA PRASAD SHARMA,
(Partner)
Lalbarra.

(567-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s BHAWNA FILLING STATION, having the principal place business at Survey No. 224/1, SH No. 26, Balaghat Seoni State Highway, Lalbarra, Distt: Balaghat, a Partnership firm incorporated on 01/04/1994, having Two Partners named as (1) Shri Rjendra Prasad Sharma, (2) Smt. Kanta Sharma and also Shri Punit Sharma as a minor for benefits of the firm. That with effect from 15th May 1996, a new partnership deed has been formed due to certain changes in the clauses of partnership deed due to introduction of section 40(b)(v) of Income Tax Act, 1961. Thus there has not been any changes in the status of Partners. This Public notice is being published for the purpose of information to be given to office of Registrar of Firms and Society.

Firm M/s Bhawna Filling Station,
RAJENDRA PRASAD SHARMA,
(Partner)
Lalbarra.

(568-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्री रामनिवास कुशवाह कांट्रेक्टर जो कि पंजीयत संस्था है जिसका पंजीयन क्र. 1797/97/21/10/97 फर्म के रजिस्टर में क्र. जस.34 सन् 1997 के रूप में लिखा गया है कि यह कि फर्म का नाम 1/4/16 से मेसर्स रामनिवास कुशवाह रहेगा. यह कि इस फर्म में 01-04-2016 से भागीदार श्री रामप्रभा कुशवाह पिता श्री रामपत कुशवाह सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उनकी जगह श्री दीपक कुशवाह पिता रामनिवास कुशवाह परासिया शामिल हो रहे हैं.

उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू पेंच वेली स्कूल परासिया, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश है. सर्व-साधारण के लिये सूचना हेतु जारी.

M/s Ram Niwas Kushwaha,
दीपक कुशवाह,
(भागीदार).

(569-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सुमन इन्फ्रास्ट्रक्चर, पता गागोदिया मंदिर के सामने, झांसी रोड, दतिया मध्यप्रदेश है. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/41/01/00041/07, दिनांक 23-08-2007 है. जिसमें दिनांक 01-12-2017 को (1) श्री अरूण अवस्थी पुत्र श्री कुलदीप अवस्थी, (2) विनोद लक्ष्मण देशपाण्डे पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण शंकर देशपाण्डे अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-12-2017 से फर्म का वर्तमान पता गागोदिया मंदिर के सामने झांसी रोड, दतिया से परिवर्तित कर नवीन स्थान 01, शारदा विहार कॉलोनी, सिविल लाईन दतिया में परिवर्तित हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स सुमन इन्फ्रास्ट्रक्चर,
कुलदीप अवस्थी,
(भागीदार).

(570-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स स्टोनेक्स इन्फ्रा, टी-3315, आई.सी.आई.सी.आई बैंक के पास रामकला नगर, मुरार, ग्वालियर म.प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0080/17 हैं जिसमें दिनांक 24-10-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 1 मैसर्स इंडियन बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा श्री नितिन ओवेरोय (डायरेक्टर) पुत्र श्री एस. पी. ओवेरोय, निवासी डी-824, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा इनके स्थान पर पक्षकार क्रमांक 5, श्री तेजवंत जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन, निवासी मनिरामवास कोशिकला, मथुरा (उ.प्र.) व पक्षकार क्रमांक 6 श्री वेदप्रकाश गोयल पुत्र श्री बीरेन्द्र कुमार गोयल, निवासी मनिरामवास कोशिकला मथुरा व पक्षकार क्रमांक 7 श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, निवासी आर्य नगर कोशिकला मथुरा तथा पक्षकार क्रमांक 8 श्री बृजेश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी आर. के. पुरी गोविंदपुरी, ग्वालियर जो कि नवीन पक्षकार के रूप में शामिल हुए हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है. भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स स्टोनेक्स इन्फ्रा,
श्याम शर्मा,
(भागीदार).

(571-B.)

आम सूचना

मैसर्स नाइस इण्डस्ट्रीज, 802, मिलेनियम प्लाजा गोविन्दपुरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00274/13, दिनांक 05-03-2013 है में तीन भागीदार थे. 01-04-2017 से एक भागीदार श्री विभोर महेश्वरी पुत्र श्री शैलेन्द्र माहेश्वरी ने पार्टनरशिप से त्याग-पत्र दे दिया है. 01-04-2017 से शेष दो भागीदार श्री आशीष अग्रवाल एवं श्रीमती सीमा अग्रवाल हैं एवं नया पता फ्लेट क्र. 106, लक्ष्मी रेसीडेन्सी, वंशी की बगिया, माधव डिस्पेन्सरी के सामने लश्कर, ग्वालियर है.

फर्म-नाइस इण्डस्ट्रीज,
आशीष अग्रवाल,
(पार्टनर).

(572-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सरवर एण्ड कम्पनी की पार्टनरशिप डीड फर्म के रूप में पंजीयक कार्यालय, फर्म एण्ड संस्थाएं, इन्दौर में पंजीयन क्रमांक 03/32/01/00067/11/1392, दिनांक 04-07-2011 से पंजीकृत है. यह कि दिनांक 25-11-2017 को फर्म के द्वारा जारी की गई जाहिर सूचना जो कि इन्दौर समाचार-पत्र में दिनांक 26-11-2017 प्रकाशित हुई थी, जिसमें त्रुटिवश साझेदार निकहत खान पिता इल्यास खान, निवासी 89, सुभाष मार्ग, इन्दौर फर्म की भागीदार नहीं रही है की जाहिर सूचना छपी है. जिस अनुसार दिनांक 15-12-2017 को मध्यप्रदेश राजपत्र में भी प्रकाशन हुआ है. जबकि निकहत खान पिता इल्यास खान पूर्व अनुसार फर्म में भागीदार हैं एवं फर्म में कोई भागीदार विलोपित नहीं हुआ है. फर्म में परविन्दर पिता हरजिन्दर, निवासी 377, खातीवाला टैंक, इन्दौर मध्यप्रदेश को फर्म में दिनांक 25-11-2017 को नये भागीदार के रूप में शामिल किया गया है तथा फर्म का नया संशोधित, पता 89, सुभाष मार्ग, इन्दौर किया गया है. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचनार्थ है.

मैसर्स सरवर एण्ड कम्पनी,
सरवर खान,
(पार्टनर)

(573-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

द्वितीय निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो.(56)2017/2576.-आईटी विभाग की वेबसाईट <https://mpeproc.gov.in> से पारपत्र पुस्तिका (तकनीकी विवरण अनुसार) मुद्रण हेतु इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में गोपनीय कार्य हेतु पंजीकृत प्रिन्टर्स से पेपर सहित मुद्रण, बंधन, परिवहन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित प्रति बुकें दरें दिनांक 26-12-2017 अपराह्न 1.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति, पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 26-12-2017 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.

3. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन/होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी.

राजेश कोल,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश भोपाल.

(1821)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक, सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र. वी/113/वर्ष 2017-18.

मौजा-महिला आई.टी.आई., खुरई रोड, सागर.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सन्मति जैन पिता स्व. राजकुमार जैन, निवासी परकोटा, वार्ड सागर मंत्री श्री 1008 पंचबालयति दिगम्बर जैन मंदिर विद्यासागर नगर महिला आई.टी.आई. के सामने, खुरई रोड, सागर मंदिर द्वारा नियम-4(1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "श्री 1008 पंचबालयति दिगम्बर जैन मंदिर विद्यासागर नगर" महिला आई. टी. आई. के सामने, खुरई रोड, सागर के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके पदाधिकारीगण/सदस्यगण निम्नानुसार हैं:-संरक्षक 1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. मंत्री, 4. उपमंत्री, 5. कोषाध्यक्ष इन पदाधिकारियों का चुनाव ट्रस्ट के स्थाई 07 सदस्य ही करेंगे.

लोक न्यास का नाम	:	"श्री 1008 पंचबालयति दिगम्बर जैन मंदिर".
पता	:	विद्यासागर नगर, महिला आई.टी.आई. के सामने, खुरई रोड, सागर
चल सम्पत्ति	:	1. दान से प्राप्त आय.
अचल सम्पत्ति	:	1. ग्राम करीला में स्थित मंदिर
ट्रस्ट का उद्देश्य	:	1. मंदिर जी का निर्माण कर मंदिर जी की चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था करना देव प्रतिमाओं की देखभाल करना एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएं बनाये रखना. 2. सर्व-साधारण में जैन धर्म के प्रति रुचि एवं आस्था बनाना. 3. धार्मिक प्रभावना हेतु पाठशाला शिविर एवं अन्य आयोजन संचालित करना.

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 20 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 26-12-2017.

जारी दिनांक 20-11-2017.

एल. के. खरे,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

(1786)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास कुक्षी, जिला धार

कुक्षी, दिनांक 03 नवम्बर, 2017

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (तीसवां) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

आवेदक श्री मोहन पिता भगवान जाति कुलमी, निवासी ग्राम भवरिया, तहसील कुक्षी, अध्यक्ष माँ नर्मदा घाट एवं मुक्तिधाम, कोटेश्वर

तीर्थ (कोठड़ा) निसरपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-35 के अंतर्गत अनुसूची में उल्लेखित पंजीकृत सार्वजनिक न्यास के ट्रस्टियों के नाम बदलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिनकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 को प्रातः 11 बजे की जावेगी.

2. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त पंजीकृत न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : माँ नर्मदा घाट एवं मुक्तिधाम, कोटेश्वर तीर्थ (कोठड़ा) निसरपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार.
2. नवीन ट्रस्टियों के नाम :
 - (1) श्री मोहन पिता भगवान जाति कुलमी, निवासी ग्राम भवरिया, तहसील कुक्षी-अध्यक्ष.
 - (2) श्री उमेश नंदकिशोरजी चोकसी, निवासी कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (3) श्री हरि मावजी मुकाती, निवासी देशवाल्या, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (4) श्री भूपेन्द्रसिंह बाबूसिंहजी अलावा, निवासी पडियाल, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (5) श्री दीपक लुणकरण गुप्ता, निवासी कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (6) श्री प्रकाश दुधाजी भायल, निवासी कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (7) श्री राधेश्याम गणयपत राठोड़, निवासी आली, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (8) श्री कैलाश देवजी, निवासी कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (9) श्री कपिल महादेवगिरी गोस्वामी, कोटेश्वर, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (10) श्री रामेश्वर भगवान मुखाती, निवासी शिलकुंआ, तहसील डही-ट्रस्टी.
 - (11) श्री विमल कुमार धन्नालाल, निवासी निसरपुर, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (12) श्री मोहन भूराजी कामदार, निवासी बडदा, तहसील डही-ट्रस्टी.
 - (13) श्री रमेश धुरजी गरास्या, निवासी सुसारी, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (14) श्री राधेश्याम हरचंदजी वड़वाल, निवासी कोठडा, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (15) श्री बुदीचंद काशीराम कुमावत, निवासी कोठडा, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (16) श्री देवेन्द्र कुमार हीराजी शिंदे, निवासी कोणदा, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (17) श्री श्याम बद्रीलाल माली, निवासी कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (18) श्री मधु गोविन्द कंकोरे, निवासी कोठडा, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (19) श्री वासुदेव सात्याजी पायग्या, निवासी धुलसर, तहसील-कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (20) श्री समृतलाल दशरथलाल राठोड़, निवासी डेहरी, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (21) श्री श्रीराम नारायण मुकाती, निवासी देशवाल्या, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (22) श्री महेन्द्र अम्बाराम कामदार, निवासी निसरपुर, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (23) श्री राकेश मोतीलाल मुकाती, निवासी निम्बोल, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (24) श्री अनिल रूपचंद सटवा, निवासी पिपल्या, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (25) श्री ओमप्रकाश नारायण प्रजापत, निवासी निसरपुर, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (26) श्री कांजी लीमजी, निवासी कुक्षी-ट्रस्टी.

ऋषव गुप्ता, (I.A.S.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दतिया

सर्व-साधारण जनता एवं पशु चराने वालों को सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित वृक्षारोपणों/कूपों को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक के लिये चराई से वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो व्यक्ति इन वर्जित क्षेत्रों में पशु चराई करायेगा उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 व 33 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया जावेगा:-

चराई से वर्जित क्षेत्रों की सूची वर्ष 2016-17

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वृक्षारोपण का नाम	कक्ष क्रमांक	वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1.	सेंवड़ा	ग्यारा	पी-6	2012-13	161.1
2.	सेंवड़ा	डोंगरपुर	पी-28	2012-13	133.87
3.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-15	2012-13	165.6
4.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-3	2012-13	116.94
5.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-14	2012-13	0
6.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-26	2012-13	120.6
7.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2012-13	141.3
8.	सेंवड़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2012-13	127.12
9.	दतिया	डांग करैरा	पी-76	2012-13	145.23
10.	दतिया	उदगुवा	पी-82	2012-13	134.55
11.	दतिया	मुड़रा	पी-89	2012-13	25.2
12.	गोराघाट	निचरोली	पी-112	2012-13	183.15
13.	दतिया	पहाड़	34	2012-13	197.5
14.	गोराघाट	गोविन्दनगर	41	2012-13	102.66
15.	गोराघाट	रजौरा	45	2012-13	138.82
16.	दतिया	चक्ररामसागर	पी-57	2012-13	106.65
17.	दतिया	चौपरा	पी-64	2012-13	104.95
18.	दतिया	गुजर्गा	पी-73	2012-13	173.47
19.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	139.27
20.	गोराघाट	डंगराकुंआ	98	2012-13	120.15
21.	गोराघाट	हिनैतिया	पी-101	2012-13	105.97
22.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2012-13	107.1
23.	गोराघाट	गोरा कोटरा	आर-93	2012-13	150
24.	सेंवड़ा	गोविन्द नगर	आर-41	2012-13	100
25.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	100
26.	दतिया	रिछरा	पी-54	2012-13	100
27.	दतिया	सेरसा	पी-71	2012-13	50
28.	दतिया	लरायटा	पी-75	2012-13	50
29.	दतिया	सलैया पवार	आर-79	2012-13	150
30.	सेंवड़ा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्र. 83	2012-13	2.016

1	2	3	4	5	6
31.	सेवदा	ग्यारा	पी-6	2013-14	139.05
32.	सेवदा	डोंगरपुर	पी-28	2013-14	139.5
33.	सेवदा	डिरोलीपार	पी-16	2013-14	181.12
34.	सेवदा	रोशनपुरा	पी-3	2013-14	112.05
35.	सेवदा	मदनपुरा	पी-14	2013-14	117.38
36.	सेवदा	खमरौली	पी-27	2013-14	164.47
37.	सेवदा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2013-14	135.35
38.	सेवदा	ढिमरपुरा	पी-22	2013-14	113.13
39.	सेवदा	पहाड़	आर-35	2013-14	152.78
40.	सेवदा	गोविन्दनगर	आर-41	2013-14	135
41.	सेवदा	रजौरा	आर-45	2013-14	108.23
42.	सेवदा	डिरोलीपार	पी-15	2013-14	200.00
43.	सेवदा	डिरोलीपार	पी-9	2013-14	150.00
44.	सेवदा	टुकी	पी-01	2013-14	100.00
45.	सेवदा	बसई मलक	आर-31	2013-14	150.00
46.	गोराघाट	निचरौली	पी-112	2013-14	177.3
47.	गोराघाट	डंगराकुंआ	आर-98	2013-14	139.05
48.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101	2013-14	102.05
49.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2013-14	124.42
50.	गोराघाट	ओरीना	पी- 105, 106	2013-14	500.00
51.	दतिया	मुड़रा	पी-90	2013-14	53.78
52.	दतिया	उदगवां	पी-82	2013-14	65.37
53.	दतिया	जिगना	पी-76	2013-14	120.00
54.	दतिया	गुजर्रा	पी-74	2013-14	74.00
55.	दतिया	चौपरा	पी-64	2013-14	112.366
56.	दतिया	चकरामसागर	पी-58	2013-14	205.9
57.	दतिया	झिरका बाग	पी-52	2013-14	119.25
58.	दतिया	चौपरा	पी-60-61	2013-14	90.00
59.	दतिया	दुर्गापुर	पी-78	2013-14	200.00
60.	दतिया	सिरोल	पी-55, 56	2013-14	270.00
61.	दतिया	बिड़नियां	पी-53	2013-14	67.00
62.	सेवदा	बघावली	पी-16	2014-15	161.560
63.	सेवदा	ग्यारा	पी-6	2014-15	153.220
64.	सेवदा	चिताई	पी-29	2014-15	170.780
65.	सेवदा	बघावली	पी-17	2014-15	155.700
66.	सेवदा	चिताई	पी-29	2014-15	151.870
67.	सेवदा	कसा	पी-7	2014-15	141.980

1	2	3	4	5	6
68.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-21	2014-15	124.200
69.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-18	2014-15	89.320
70.	सेंवड़ा	जरा	पी-11	2014-15	123.760
71.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-10	2014-15	98.550
72.	सेंवड़ा	खमरौली	पी-27	2014-15	135.450
73.	सेंवड़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2014-15	121.280
74.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2014-15	133.400
75.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-3	2014-15	96.530
76.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-14	2014-15	115.260
77.	सेंवड़ा	खमरौली	पी-27	2014-15	124.430
78.	सेंवड़ा	ढिमरपुरा	पी-23	2014-15	145.350
79.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-12	2014-15	151.870
80.	सेंवड़ा	चित्तई	पी-30	2014-15	154.800
81.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-14	2014-15	139.340
82.	सेंवड़ा	ग्यारा	पी-7	2014-15	150.00
83.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-25	2014-15	150.00
84.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-21	2014-15	200.00
85.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-24	2014-15	100.00
86.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-15	2014-15	76.00
87.	दतिया	मुड़रा	पी-84	2014-15	99.000
88.	दतिया	मुड़रा	पी-91	2014-15	22.730
89.	दतिया	उदगवां	पी-83	2014-15	121.050
90.	दतिया	सलैया पवार	पी-79	2014-15	163.900
91.	दतिया	मुड़रा	पी-92	2014-15	37.500
92.	दतिया	उदगवां	पी-83	2014-15	116.100
93.	दतिया	सलैया पवार	पी-79	2014-15	186.870
94.	दतिया	झिरकाबाग	पी-50, 51	2014-15	400.00
95.	दतिया	बाजनी	पी-62	2014-15	100.00
96.	दतिया	घरावा	पी-72	2014-15	279.00
97.	दतिया	मुड़रा	पी-81	2014-15	94.00
98.	दतिया	चक्र बहादुरपुर	आर-49	2014-15	127.00
99.	गोराघाट	खोड़न	109	2014-15	203.630
100.	गोराघाट	निचरोली	पी-113	2014-15	212.900
101.	गोराघाट	निचरोली	पी-113	2014-15	200.200
102.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-101, 102	2014-15	300.00
103.	गोराघाट	बड़ोनी	पी-109	2014-15	200.00
104.	दतिया	बसईमलक	R-31	2014-15	167.4

1	2	3	4	5	6
105.	दतिया	पहाड़	R-35	2014-15	138.37
106.	दतिया	गोविन्दनगर	R-41	2014-15	137.79
107.	दतिया	रजौरा	R-45	2014-15	101.02
108.	दतिया	पहाड़, बराबुजुर्ग	R-36, P-37	2014-15	207.62
109.	दतिया	गोविन्दनगर	R-41	2014-15	149.38
110.	दतिया	धनौली	R-46	2014-15	141.52
111.	दतिया	बाजनी	P-62	2014-15	188.320
112.	दतिया	चकबहादुरपुर	47	2014-15	173.730
113.	दतिया	चकबहादुरपुर	P-114	2014-15	4.960
114.	दतिया	रिछरा	P-54	2014-15	151.430
115.	दतिया	झिरकाबाग	P-52	2014-15	158.180
116.	दतिया	गुजर्ग	P-74	2014-15	96.400
117.	दतिया	दुर्गापुर	P-78	2014-15	123.530
118.	दतिया	चकरामसागर	P-59	2014-15	134.320
119.	दतिया	दुर्गापुर	P-77	2014-15	20.900
120.	दतिया	चकरामसागर	P-59	2014-15	234.330
121.	दतिया	दुर्गापुर	P-78	2014-15	160.200
122.	दतिया	लरायटा	75	2014-15	48.820
123.	दतिया	बिडनिया	P-53	2014-15	199.350
124.	गोराघाट	डगराकुआ	P-100	2014-15	114.070
125.	गोराघाट	हिड़ोरा	104	2014-15	101.700
126.	गोराघाट	घूघसी	P-107	2014-15	84.150
127.	गोराघाट	डगराकुआ	P-99	2014-15	130.400
128.	गोराघाट	हिड़ोरा	104	2014-15	95.620
129.	गोराघाट	घूघसी	P-107	2014-15	91.120
130.	गोराघाट	डगराकुआ	P-99	2014-15	104.170
131.	सेंवड़ा	कसा	P-7	2015-16	148.500
132.	सेंवड़ा	बघावली	P-17	2015-16	146.250
133.	सेंवड़ा	चिताई	P-29	2015-16	180.670
134.	सेंवड़ा	गुमानपुरा	P-1	2015-16	154.350
135.	सेंवड़ा	मदनपुरा	P-10	2015-16	106.880
136.	सेंवड़ा	जरा	P-11	2015-16	107.770
137.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	P-18	2015-16	137.700
138.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	P-21	2015-16	131.170
139.	दतिया	चौपरा	P-65	2015-16	207.900
140.	दतिया	पलोथर	P-80	2015-16	122.620
141.	दतिया	बसई	P-85	2015-16	107.560

1	2	3	4	5	6
142.	गोराघाट	खोड़न	109	2015-16	134.320
143.	सेंवढ़ा	बसई	31	2015-16	186.300
144.	सेंवढ़ा	बिलासपुर	39	2015-16	166.950
145.	सेंवढ़ा	भरसूला	42	2015-16	124.420
146.	दतिया	रिछरा	P-54	2015-16	112.270
147.	दतिया	चौपरा	P-60	2015-16	147.820
148.	दतिया	लरायटा	P-70	2015-16	58.950
149.	दतिया	ललउआ	R-69	2015-16	53.550
150.	दतिया	चक बहादुरपुर	R-48	2015-16	103.500
151.	गोराघाट	गोराकोटरा	93	2015-16	86.170
152.	गोराघाट	डंगराकुंआ	P-100	2015-16	107.100
153.	गोराघाट	हिंडौरा	103	2015-16	104.600
154.	सेंवढ़ा	टुंकी	P-4	2016-17	145.570
155.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	P-8	2016-17	231.750
156.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	P-24	2016-17	138.390
157.	सेंवढ़ा	गुमानपुर	P-1	2016-17	154.350
158.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	P-10	2016-17	115.200
159.	सेंवढ़ा	जरा	P-11	2016-17	107.770
160.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-18	2016-17	137.700
161.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-21	2016-17	131.170
162.	दतिया	चौपरा	P-65	2016-17	207.900
163.	दतिया	कालीपहाडी	P-80	2016-17	122.620
164.	दतिया	मुड़रा	P-85	2016-17	112.500
165.	गोराघाट	खोड़न	109	2016-17	134.320
166.	सेंवढ़ा	बसईमलक	31	2016-17	186.300
167.	सेंवढ़ा	बिलासपुर	39	2016-17	166.950
168.	सेंवढ़ा	भरसूला	42	2016-17	124.420
169.	दतिया	रिछरा	P-54	2016-17	112.270
170.	दतिया	चौपरा	P-60	2016-17	147.820
171.	दतिया	गुजर्ग	69	2016-17	53.550
172.	दतिया	लरायटा	P-70	2016-17	58.950
173.	दतिया	चक बहादुरपुर	48	2016-17	103.500
174.	गोराघाट	गोराकोटरा	93	2016-17	86.170
175.	गोराघाट	डंगराकुंआ	P-100	2016-17	107.100
176.	गोराघाट	हिंडौरा	P-103	2016-17	104.600

बी. एस. बघेल,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2014/631/छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./उपछि/परि./2016/1526, छिन्दवाड़ा, दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहखेड़	85/01-10-1984	581/19-03-2014
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महलपुर	121/01-10-1986	581/19-03-2014
3.	इंदिरा गांधी मक्का उत्पा. एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., मोहखेड़	683/25-07-2006	581/19-03-2014
4.	नांदियाडोह उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति, सारंगबिहरी	29/07-04-1977	631/23-03-2015
5.	आदर्श प्राथ. औद्योगिक महिला सहकारी समिति, उमरानाला	538/09-01-1996	913/22-08-2006
6.	पठरानाई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठरानाई	760/17-06-2011	631/23-03-2015
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालामऊ	431/14-12-1993	631/23-03-2015
8.	पालाखेड़ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालाखेड़	738/03-08-2011	631/23-03-2015
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खूनाझिरकला	671/15-12-2005	1526/05-05-2016
10.	मैनीखापा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैनीखापा	719/21-12-2009	1526/05-05-2016
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिकाड़ी	366/24-01-1992	1526/05-05-2016
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुजावरमाल	380/16-09-1992	1526/05-05-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होंगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2014/631/छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./उपछि/परि./2016/1526, छिन्दवाड़ा, दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	बलराम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., केरिया	856/10-01-2014	631/23-03-2015
2.	साईराम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., आमगांव	859/10-01-2014	631/23-03-2015
3.	शिवशंकर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रामगढ़	852/10-01-2014	631/23-03-2015
4.	शिवा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., नवेगांव मकरिया	864/10-01-2014	631/23-03-2015
5.	धुंआधार बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बतरी	867/10-01-2014	631/23-03-2015
6.	जय माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोहरगांव	854/31-03-2011	631/23-03-2015
7.	डुंगरिया आदर्श फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डुंगरिया	952/29-09-1995	631/23-03-2015
8.	माँ निमर्ला बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरस	944/10-01-2014	631/23-03-2015
9.	राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदादौन	865/10-01-2014	631/23-03-2015
10.	जाग्रति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरनाखेडी	866/10-01-2014	631/23-03-2015
11.	मदर टेरेसा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांख	842/28-04-2012	631/23-03-2015
12.	मदर टेरेसा अनाज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सांख	665/10-01-2014	631/23-03-2015
13.	नवीन खुशी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लिखड़ी	1009/10-01-2014	631/23-03-2015
14.	स्वर्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टाप	1012/10-01-2014	631/23-03-2015
15.	नवीन बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खूंटपिपरिया	997/10-01-2014	631/23-03-2015
16.	धनवर्षा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लुंगसी	957/10-01-2014	631/23-03-2015
17.	आकाश बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कुण्डा	894/10-01-2014	631/23-03-2015
18.	अन्नदाता बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर	878/10-01-2014	631/23-03-2015
19.	उत्तम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मडई	879/10-01-2014	631/23-03-2015
20.	जय कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पांजरा	880/10-01-2014	631/23-03-2015
21.	जय बजरंग बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., समसवाडा	847/10-01-2014	631/23-03-2015
22.	किसान बीज उत्पा. सह. समिति, झिलमिली	834/10-01-2014	631/23-03-2015
23.	जय कृष्णा महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथ. सह. समिति मर्या., चांद	847/10-01-2014	631/23-03-2015
24.	विवेकानंद अनाज क्रय-विक्रय प्राथ. सह. समिति मर्या., रामगढ़	843/10-01-2014	631/23-03-2015
25.	मडुआखुर्द दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मडुआ	459/20-12-1994	1526/05-05-2016
26.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समसवाडा	461/20-12-1994	1526/05-05-2016
27.	हरदोली दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सहकारी समिति मर्या., हरदोली	1032/29-09-2014	1526/05-05-2016
28.	लोनीकला दुग्ध उत्पादक प्राथ. सहकारी समिति मर्या., लोनीकला	1043/14-10-2014	1526/05-05-2016
29.	बादगांव दुग्ध उत्पादक प्राथ. सहकारी समिति मर्या., बादगांव	778/16-09-2002	631/23-03-2015

1	2	3	4
30.	विकास फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिखलीखुर्द	873/10-01-2014	631/23-03-2015
31.	नव जाग्रति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मोघर	1001/10-01-2014	1526/05-05-2016
32.	मातारानी फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उदादौन	995/10-01-2014	631/23-03-2015
33.	वमी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., आमाबोह	855/10-01-2014	631/23-03-2015
34.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिलमिली	252/25-09-1990	631/23-03-2015
35.	सत्य साई महिला बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बतरी	691/19-06-2007	631/23-03-2015
36.	जय माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गोहरगांव	949/10-01-2014	631/23-03-2015
37.	श्री बांके बिहारी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., माचागोरा	1011/10-01-2014	631/23-03-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होंगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. नेमा,

(1789)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2015/631/छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./उपछि/परि./2016/1526, छिन्दवाड़ा, दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	रानीघाट फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केवलारी	956/10-01-2014	631/23-03-2015
2.	किसान परिवार बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गोरखघाट	900/10-01-2014	631/23-03-2015
3.	आदर्श खाद्यान्न क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., दमुआ	822/10-01-2014	631/23-03-2015
4.	प्रगति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., दमुआ	828/10-01-2014	631/23-03-2015

1	2	3	4
5.	नंदनवाशरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नंदनवाशरी	517/09-11-1995	631/23-03-2015
6.	जय कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकूघाटी	756/31-03-2011	631/23-03-2015
7.	इंदिरा महिला सिलाई-कढ़ाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., दमुआ	522/29-09-1995	631/23-03-2015
8.	नवआदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिखलार	948/10-01-2014	631/23-03-2015
9.	गायत्री श्रम ठेका प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जुन्नारदेव	827/10-01-2014	1526/05-05-2016
10.	श्री बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जुन्नादेव	526/21-06-1995	1526/05-05-2016
11.	खैरवानी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरवानी	797/28-04-2012	1526/05-05-2016
12.	आदिवासी विकास मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., नवेगांव	665/26-08-2005	1526/05-05-2016
13.	कन्हान फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामनगरी	993/10-01-2014	631/23-03-2015
14.	सर्वोत्त बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पनारा	985/10-01-2014	631/23-03-2015
15.	टेमनीकला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला	364/24-01-1992	913/22-08-2003

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. जुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होंगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(1790) **अलका मानिकदिबे,**
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदरी.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1622, दिनांक 03 फरवरी, 2012 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1791)

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डिगोद.

क्र./परि./2017/2318.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डिगोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 536, दिनांक 04 जनवरी, 1984 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1792)

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैरवाखेड़ी.

क्र./परि./2017/2319.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैरवाखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 10 मई, 2007 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय

रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1793)

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलकोटा.

क्र./परि./2017/2320.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलकोटा, जिसका पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निध रित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1794)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराड़िया.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराड़िया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 09 जुलाई, 2002 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1795)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किशनगढ़.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किशनगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 06 जून, 2006 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1796)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सादीपुरा.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सादीपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 05 नवम्बर, 1982 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1797)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

चामुण्डा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास.

चामुण्डा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 है.

वर्तमान में संस्था अध्यक्ष द्वारा अपने आवेदन में अवगत करवाया है कि संस्था अकार्यशील है और न ही संस्था द्वारा आज दिनांक तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1798)

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

हरिओम प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास.

क्र./परि./2017/2326.—हरिओम प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 767, दिनांक 09 जून, 1963 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। परन्तु यह पाया गया कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है। और ना ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1799)

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालजीपुरा.

क्र./परि./2017/2327.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालजीपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1620, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 है। निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था के पंजीयन के पश्चात् संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन नहीं कराये गये हैं। ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1800)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिरवाय.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिरवाय, जिसका पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 15 मई, 2006 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1801)

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागनखेड़ा.

क्र./परि./2017/2329.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागनखेड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 20 सितम्बर, 1982 है. निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है और ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1802)

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1469.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	लक्ष्य साख संस्था, इन्दौर	193/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	गोलेक्सी ऑफ कॉलेज सह. संस्था मर्या., इन्दौर	236/16-04-1985	700/23-06-2017
3.	गायत्री महिला उप. भण्डार, इन्दौर	1472/09-06-1994	700/23-06-2017
4.	अल्पा मर्केन्टाईल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	58/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	अग्रोहा महिला भण्डार, इन्दौर	1521/15-06-1994	700/23-06-2017
6.	ओमश्री भाग्य लक्ष्मी, इन्दौर	2391/07-10-2008	700/23-06-2017
7.	आजाद सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	198/05-09-2013	700/23-06-2017
8.	ओमश्री सिद्धविनायक साख संस्था मर्या., इन्दौर	2438/09-03-2010	700/23-06-2017
9.	ओम श्री गणेश साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	227/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	आदर्श नारी कल्याण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
11.	आदर्श महिला साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	42/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	आदर्श बुनकर कॉटन हेण्डलूम सह. संस्था मर्या., हातोद	67/02-06-1989	700/23-06-2017
13.	आर. डी. दाल आधारित उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
14.	आरक्षी प्रशिक्षण महा. भण्डार, इन्दौर	302/06-01-1966	700/23-06-2017
15.	आदिवासी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., पिपल्याखुर्द	2110/04-03-2003	700/23-06-2017
16.	अपंग वस्त्रोद्योग	-	700/23-06-2017
17.	अक्षय साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	59/05-09-2013	700/23-06-2017
18.	नटराज बुनकर सह. संस्था मर्या., इन्दौर	796/18-10-1984	700/23-06-2017
19.	नवसर्वोदय साख संस्था, इन्दौर	2424/24-11-2009	700/23-06-2017
20.	नवजीवन मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1751/15-12-1995	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं करने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था

अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1803)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1470.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सर्वोदय मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
2.	सहकारी मुद्रणालय प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	18/25-09-1959	700/23-06-2017
3.	समता सहकारी प्रेस सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	249/29-02-1964	700/23-06-2017
4.	भाविका प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी प्राथ. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1969/22-04-2000	700/23-06-2017
5.	भारतीय प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	177/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	545/06-08-1991	700/23-06-2017
7.	माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	546/05-10-1991	700/23-06-2017
8.	दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	591/20-05-1992	700/23-06-2017
9.	भावना यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	553/28-10-1992	700/23-06-2017
10.	विकास यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	569/03-02-1992	700/23-06-2017
11.	माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	558/03-02-1994	700/23-06-2017
12.	साहिल यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	556/17-04-1993	700/23-06-2017
13.	साईनाथ परिवहन को-ऑप. यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1716/01-03-1995	700/23-06-2017
14.	प्रियदर्शनी परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	603/21-03-1996	700/23-06-2017
15.	कलसी ऑटोमोबाईल परिवहन सहकारिता	157/05-09-2013	700/23-06-2017
16.	मारुती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देपालपुर	2450/03-06-2010	700/23-06-2017
17.	श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनवाय	2488/10-02-2011	700/23-06-2017
18.	आदित्य एग्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	2497/25-05-2011	700/23-06-2017
19.	विंध्याचल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामली	2499/20-05-2011	700/23-06-2017
20.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमटा	2552/26-10-2012	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1804)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1471.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	न्यू उन्नती सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	151/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	जेमीनी महिला साख भण्डार, इन्दौर	2395/18-02-2009	700/23-06-2017
3.	जूनी इन्दौर साख	75/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	जिव्हेश्वर साख संस्था मर्या., इन्दौर	82/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	जीवन सार्थक सह. संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
6.	जयगुरु साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2704/31-05-2014	700/23-06-2017
7.	जय महालक्ष्मी साख संस्था	2793/	700/23-06-2017
8.	जय अम्बे ईट-भट्टा सह. संस्था मर्या., रलायता	-	700/23-06-2017
9.	जय बालाजी साख, इन्दौर	202/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	चन्द्रवंशी खाती सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	156/05-09-2013	700/23-06-2017
11.	वैश्य बाथली साहू समाज, साख	2791/	700/23-06-2017
12.	वाल्मिकी मत्स्य जलकृषि संस्था मर्या., नैनोद	2139/13-02-2004	700/23-06-2017
13.	देव साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	60/05-09-2013	700/23-06-2017
14.	दीक्षा महिला भण्डार, इन्दौर	1936/24-02-1999	700/23-06-2017
15.	द सहकारी ग्राम उद्योग विकास सह. संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017

1	2	3	4
16.	उत्तम साख	256/05-09-2013	700/23-06-2017
17.	उज्जवल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2673/07-03-2014	700/23-06-2017
18.	उज्जवल ईट-भट्टा सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1109/21-04-1991	700/23-06-2017
19.	उदय साख संस्था, इन्दौर	243/05-09-2013	700/23-06-2017
20.	सेवा स्टेशनरी बाईडिंग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	208/04-03-1991	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षानान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अधोपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1805)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1472.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अभिनंदन फर्नीचर फेब्रीकेशन सह. संस्था मर्या., इन्दौर	840/31-12-1986	700/23-06-2017
2.	विश्वास महिला को-ऑपरेटिव्ह सोसा. मर्या., इन्दौर	709/17-02-1986	700/23-06-2017
3.	हस्तशिल्प उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	829/21-07-1986	700/23-06-2017
4.	गृह उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	330/01-01-1969	700/23-06-2017
5.	गैलेक्सी ऑफ नॉलेज को-ऑप. सोसा. मर्या., इन्दौर	806/16-04-1985	700/23-06-2017
6.	अनमोल औद्योगिक सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1948/31-05-1999	700/23-06-2017
7.	लक्ष्मी गृह उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	408/21-12-1973	700/23-06-2017
8.	जनजीवन नलकूप खनन कामगार सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1683/19-01-1994	700/23-06-2017
9.	नवजीवन श्रमिक कामगार सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1655/11-10-1994	700/23-06-2017
10.	संस्कृति हस्तशिल्प महिला औद्यो. सह. संस्था मर्या., इन्दौर	830/	700/23-06-2017

1	2	3	4
11.	फैशन क्रिएटर इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2231/08-08-2006	700/23-06-2017
12.	सुराज पैकिंग बॉक्स उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2330/11-06-2007	700/23-06-2017
13.	आस्था कागज निर्माण उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2332/11-06-2007	700/23-06-2017
14.	देवझिरी क्रय-विक्रय स्टेशनरी उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2333/11-06-2007	700/23-06-2017
15.	सत्यमित्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1948/	700/23-06-2017
16.	इन्दौर हस्तशिल्प उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर	28/22-07-1998	700/23-06-2017
17.	श्री गणेश आदिवासी गिट्टी-पत्थर उत्खनन सह. संस्था मर्या. इन्दौर	2399/23-05-2009	700/23-06-2017
18.	देवी अहिल्या रेल्वे पार्सल श्रम ठेका सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2521/14-02-2013	700/23-06-2017
19.	स्वराज प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी प्रोड्यूसर्स सह. संस्था मर्या., इन्दौर	60/29-05-1989	700/23-06-2017
20.	श्री लालबहादुर शास्त्री मुद्रणालय सह. संस्था मर्या., इन्दौर	321/18-01-2008	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1806)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1473.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सिटी क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2496/02-04-2011	700/23-06-2017
2.	श्री गणेश वंशकार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2541/20-06-2012	700/23-06-2017
3.	श्री साईनाथ समर्थ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2544/31-08-2012	700/23-06-2017
4.	एस. आई. एल. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2569/24-01-2013	700/23-06-2017
5.	श्री सरस्वती महिला उद्योग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2520/02-02-2012	700/23-06-2017
6.	तरुण सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1907/09-08-1998	700/23-06-2017

1	2	3	4
7.	त्रिमूर्ति सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
8.	वीर शहीद टंट्या मामा भील सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2563/13-12-2012	700/23-06-2017
9.	यंग देहलवी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2432/01-01-2010	700/23-06-2017
10.	श्री गणेश रेडिमेड सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	768/25-06-1984	700/23-06-2017
11.	देवी अहिल्या सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	676/14-10-1982	700/23-06-2017
12.	इन्दौर रेडिमेड वस्त्र उद्योग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	577/20-11-1981	700/23-06-2017
13.	मालवा रेडिमेड सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	813/23-09-1985	700/23-06-2017
14.	सिद्धेश्वर रेडिमेड सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	894/26-11-1988	700/23-06-2017
15.	प्रेरणा रेडिमेड होजयरी सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	821/19-12-1985	700/23-06-2017
16.	विश्वास ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1118/22-11-1991	700/23-06-2017
17.	महिला अगरबत्ती उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	379/20-05-1992	700/23-06-2017
18.	साईनाथ सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	822/31-12-1985	700/23-06-2017
19.	शारदा श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1139/11-05-1992	700/23-06-2017
20.	महिला गृह उद्योग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	45/18-05-1989	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेंक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1807)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1474.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	55/12-08-2002	700/23-06-2017

1	2	3	4
2.	ममता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	68/05-09-2013	700/23-06-2017
3.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर	73/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	कात्या बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	90/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	91/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	सरदार बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्यादित	92/05-09-2013	700/23-06-2017
7.	श्री गजानंद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	102/05-09-2013	700/23-06-2017
8.	विनायक बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	104/05-09-2013	700/23-06-2017
9.	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	192/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	सहारा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	271/05-09-2013	700/23-06-2017
11.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किशनगंज	2051/11-02-2002	700/23-06-2017
12.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मिर्जापुर	2064/28-02-2002	700/23-06-2017
13.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिचौली हप्पी	2069/27-03-2002	700/23-06-2017
14.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., असरावदखुर्द	2072/10-04-2002	700/23-06-2017
15.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कैलोद	2097/31-10-2002	700/23-06-2017
16.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बेरछा	2098/31-10-2002	700/23-06-2017
17.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जोशी गुराडिया	2112/28-03-2003	700/23-06-2017
18.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कोदरिया महु	2117/24-04-2008	700/23-06-2017
19.	देवी अहिल्या शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राउ	2155/18-05-2004	700/23-06-2017
20.	प्राथ. कृषि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हातोद	2551/18-10-2012	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1808)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1475.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017

से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सेवक महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1623/10-08-1994	700/23-06-2017
2.	सत्यमित्र व्यापारिक सुरक्षा सेवा सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2650/07-03-2014	700/23-06-2017
3.	सत्यमित्र मर्केन्टाईल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	170/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	सत्यम ईट-भट्टा सह. संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
5.	सुखलिया सह. संस्था मर्या., इन्दौर	169/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	सुखमणी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2701/22-04-2014	700/23-06-2017
7.	सुख शांति साख संस्था मर्या., इन्दौर	2161/16-09-2004	700/23-06-2017
8.	सूर्यासखी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2679/07-03-2014	700/23-06-2017
9.	सर्वे ऑफ इण्डिया कर्मचारी संघ	719/22-07-1983	700/23-06-2017
10.	स्वदेश मिल्स सह. साख संस्था	690/23-09-1983	700/23-06-2017
11.	सर्वोदय महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1609/28-07-1994	700/23-06-2017
12.	स्व. श्री राजेश जोशी स्मृति साख, इन्दौर	242/05-09-2013	700/23-06-2017
13.	स्व. महिला साख, इन्दौर	-	700/23-06-2017
14.	सालासार जय बालाजी, साख	261/05-09-2013	700/23-06-2017
15.	सोना लक्ष्मी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2658/07-03-2014	700/23-06-2017
16.	सोनिया गाँधी अल्पसंख्यक पि. वर्ग साख संस्था, इन्दौर	1908/07-08-1998	700/23-06-2017
17.	सोना लक्ष्मी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2658/07-03-2014	700/23-06-2017
18.	सोनिया गाँधी अल्पसंख्यक पि. वर्ग साख संस्था, इन्दौर	1908/07-08-1998	700/23-06-2017
19.	सावित्री महिला भण्डार, इन्दौर	-	700/23-06-2017
20.	श्री सार्थक साख सह. मर्या., इन्दौर	289/05-09-2013	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1477.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री दुर्गा शक्ति सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	2668/07-03-2014	700/23-06-2017
2.	श्री साई साख संस्था मर्या., इन्दौर	40/05-09-2013	700/23-06-2017
3.	श्री रामचन्द्र साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2657/07-03-2014	700/23-06-2017
4.	श्री लीलाशाह साख संस्था मर्या., इन्दौर	50/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	दि नर्मदा साख संस्था मर्या., इन्दौर	1651/27-08-1994	700/23-06-2017
6.	श्री वैष्णव साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1522/	700/23-06-2017
7.	श्री व्यंकटेश साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	0196/05-09-2013	700/23-06-2017
8.	श्री सूर्यवंशी साख	70/05-09-2013	700/23-06-2017
9.	श्री सर्वोदय साख संस्था, इन्दौर	2402/04-06-2009	700/23-06-2017
10.	श्री सद्गुरु साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	0282/05-09-2013	700/23-06-2017
11.	श्री सियागंज साख संस्था मर्या., इन्दौर	0049/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	श्री सिद्धेश्वर म. प्राथमिक भण्डार, इन्दौर	-	700/23-06-2017
13.	श्री शिवमहालक्ष्मी साख संस्था मर्या., इन्दौर	197/05-09-2013	700/23-06-2017
14.	श्री मालवीय साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	228/05-09-2013	700/23-06-2017
15.	श्री महावीर कृपा साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	0051/05-09-2013	700/23-06-2017
16.	श्री महिला साख संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
17.	श्री कांशीराम साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	0117/05-09-2013	700/23-06-2017
18.	श्री बीसा साख	0257/05-09-2013	700/23-06-2017
19.	श्रम विभा साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
20.	रणजीत बुनकर संस्था मर्या., इन्दौर	568/18-08-1980	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1479.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1.	किसान इरिगेशन सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	2670/07-03-2014	700/23-06-2017
2.	त्रिवेणी साख	1197/16-02-1994	700/23-06-2017
3.	मेक्सलाईन साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	166/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	मालवा सहकारी शक्कर कारखाना स्टॉफ साख, बरलाई	621/02-02-1981	700/23-06-2017
5.	कशिश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	195/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	कमदगिर साख, इन्दौर	199/05-09-2013	700/23-06-2017
7.	कृषि महाविद्यालय कर्मचारी, साख	263/05-09-2013	700/23-06-2017
8.	बैरवा गुरु संत बालाजी साख संस्था, इन्दौर	2403/05-06-2009	700/23-06-2017
9.	बुनकर सह. साख संस्था मर्या., देपालपुर	-	700/23-06-2017
10.	बालाजी मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2129/28-11-2003	700/23-06-2017
11.	बालराजे साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	224/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	बालकृष्ण सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	152/05-09-2013	700/23-06-2017
13.	बाबा रामदेव श्रम ठेका सह. संस्था मर्या., इन्दौर	1136/22-04-1992	700/23-06-2017
14.	बरखा साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	126/05-09-2013	700/23-06-2017
15.	इन्दौर व्यापारी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	86/05-09-2013	700/23-06-2017
16.	इन्दौर मर्केन्टाईल साख सह. संस्था मर्या., सावेर	10/05-09-2013	700/23-06-2017
17.	इण्डस्ट्रीयल को-ऑपरेटिव्ह	-	700/23-06-2017
18.	ऊँ विनायक साख	259/05-09-2013	700/23-06-2017
19.	क्षत्रिय मराठा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	255/05-09-2013	700/23-06-2017
20.	खाद्यपेय वितरण साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं करने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1813)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1480.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र

क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1.	युनियन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	45/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	युगान्तर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1133/24-03-1992	700/23-06-2017
3.	यशस्विनी महिला साख	0064/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	यश ऑफ इंडियन्स अध्ययन भ्रमण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2649/07-03-2014	700/23-06-2017
5.	एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	508/03-05-1977	700/23-06-2017
6.	एकदन्ताय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
7.	वेदमाता गायत्री साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2045/03-07-2001	700/23-06-2017
8.	सागर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2024/13-02-2001	700/23-06-2017
9.	शुभलाभ साख	0071/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	शुभनिधि साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
11.	शुभ शिवानी साख, इन्दौर	0200/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	शाने हिन्द महिला साख संस्था मर्या., इन्दौर	44/05-09-2013	700/23-06-2017
13.	शहरी कामगार महिला साख, इन्दौर	2428/30-12-2009	700/23-06-2017
14.	शशि साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	0055/05-09-2013	700/23-06-2017
15.	रायकवार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	239/04-05-2001	700/23-06-2017
16.	श्री महालक्ष्मी लक्ष्मी सर्व विकास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	0164/05-09-2013	700/23-06-2017
17.	प्रार्थना साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
18.	माँ उमिया महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2041/15-05-2001	700/23-06-2017
19.	बाणगंगा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2014/12-12-2014	700/23-06-2017
20.	धनेश मर्केन्टाईल साख संस्था, इन्दौर	-	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत् रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

अभय खरे,
संयुक्त पंजीयक.

(1814)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017-पौष 1, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 05 जुलाई, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), कराहल (शयोपुर), डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), बदरवास (शिवपुरी), अशोकनगर, मुंगावली (अशोकनगर), गुना (गुना), अजयगढ़ (पन्ना), देवरी, राहतगढ़ (सागर), सोहागपुर (शहडोल), पाली (उमरिया), भानपुरा (मंदसौर), खाचरोद, महिदपुर, घटिया, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शाजापुर, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), सौनकच्छ, टोंकखुर्द, देवास, सतवास, खातेगांव (देवास), पेटलावद (झाबुआ), बदनावर, डही (धार), खरगोन, बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, भगवानपुरा, झिरन्या (खरगोन), पाटी (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर), बैरसिया, बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, आष्टा, अच्छावर, नसरूल्लागंज, रेहली, श्यामपुर, जावट (सीहोर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील विजयपुर (शयोपुर), अटेर (भिण्ड), नरवर (शिवपुरी), राधौगढ़, बमोरी, आरोन (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना) सागर (सागर), मानपुर (उमरिया), रामपुर नैकिन (सीधी), सुवासरा, मंदसौर, सीतामऊ (मंदसौर), उज्जैन (उज्जैन), कालापील (शाजापुर), बागली, कन्नौद, उदयनगर (देवास), सरदारपुर, धार, कुच्छी (धार), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, बरला (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), गोहरगंज (रायसेन), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, बाबई, पिपरिया (होशंगाबाद), हरदा (हरदा), कुण्डम, मझोली (जबलपुर), पांढुर्णा (छिन्दवाड़ा), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील पोरसा, कैलारस, (मुरैना), मेहागांव (भिण्ड), शिवपुरी, पिछौर, खनियाधाना, कोलारस (शिवपुरी), ईशागढ़ (अशोकनगर), पलेरा (टीकमगढ़), बिजावर (छतरपुर), बीना, बण्डा, रहेली, मालथौन, शाहगढ़ (सागर), हटा (दमोह), गरोट, धुन्धडक्का, कयामपुर (मंदसौर), मोमन बडोदिया (शाजापुर), धरमपुरी (धार), कसरावद, भीकनगांव (खरगोन), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बुधनी (सीहोर), रायसेन, गोहरगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), बैतूल (बैतूल), खिरकिया (हरदा), सीहोरा (जबलपुर), नारायणगंज (मंडला), अमरवाड़ा, उमरेठ, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), बारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, मुरैना (मुरैना), गोहद, भिण्ड, लहार, रोन-मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), करैरा, पोहरी (शिवपुरी), चंदेरी (अशोकनगर), चाचोड़ा (गुना), निवाड़ी, टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, राजनगर, बड़ामल्हरा, बक्सवाहा, लवकुशनगर (छतरपुर), खुरई, केसली (सागर), बटियागढ़, पथरिया, जवेरा, तेंदूखेड़ा, पटेरा, दमोह (दमोह), रघुराजनगर, मझगावां, रामपुरबघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), त्योंथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हुजूर, गुढ़, रामपुरकचुलियान (रीवा), ब्योहारी, जयसिंहनगर, जैतपुर (शहडोल), कोतमा, जैतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट (सीधी), मल्हारगढ़, श्यामगढ़, संजीत (मंदसौर), जावरा, आलोट, सेलाना, बाजना, ताल, रावटी, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाडा, सोण्डवा, चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), सेंधवा, पानसेमल, निवाली (बड़वानी), बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), चिचौली, मुलताई, आठनेर (बैतूल), इटारसी, सिवनी-मालवा, सोहागपुर, वनखेड़ी, पचमढी (होशंगाबाद), टिमरनी (हरदा), जबलपुर, पाटन (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवाड़ा, तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा, बजाग (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामियां, परासिया, सौंसर, बिछुआ, चौरई, उमरेठ, मोहखेड़ा, हरई,चांद (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, लखनादौन, छपारा, धनौरा, घंसौर (सिवनी), बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, लालवरां, परसवाड़ा, विरसार (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, देवास, रायसेन, बैतूल, जलपुर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू है. तथा श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, सागर, डिण्डोरी, बालाघाट में धान रोपाई कार्य चालू है.

3. **बोनी.**- जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, इन्दौर, बड़वानी, बुरहानपुर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी में कार्य कहीं-कहीं पर बोनी कार्य चालू है.

4. **फसल स्थिति.**- प्रायः सभी जिलों में सामान्य है.

5. **कटाई.**- प्रायः किसी भी जिले में कटाई कार्य नहीं हो रहा है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, सिंगरौली, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 05 जुलाई, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	150.0 41.0 58.8 15.0 15.0 51.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, धान रोपाई चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूंग. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	41.0 8.2 28.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रौन }	23.0 64.1 80.0 49.0 80.0 85.3				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी चालू, धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. . .
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	83.4 7.3 1.0 15.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई तथा बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	44.0 50.0 48.0 19.0 68.0 45.0 69.0 15.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	17.0		4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	45.0				
3. अशोकनगर	17.0				
4. चन्देरी	150.0				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	1.2		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	32.0				
3. बमोरी	19.0				
4. आरोन	18.0				
5. चाचौड़ा	55.0				
6. कुम्भराज	43.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. निवाड़ी	58.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	33.0				
3. जतारा	25.0				
4. टीकमगढ़	64.0				
5. बल्देवगढ़	33.0				
6. पलेरा	46.0				
7. ओरछा	61.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लवकुश नगर	174.0				
3. गौरीहार	207.0				
4. नौगांव	31.2				
5. छतरपुर	27.0				
6. राजनगर	104.8				
7. बिजावर	39.2				
8. बड़ामलहरा	202.2				
9. बक्सवाहा	64.2				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी चालू. धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	11.0		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	27.2				
3. गुन्नौर	22.9				
4. पवई	32.0				
5. शाहनगर	34.3				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू. धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	46.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम. 40% (2) उपरोक्त फसलें कम है 20%	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	87.6				
3. बण्डा	38.0				
4. सागर	28.5				
5. रेहली	37.0				
6. देवरी	17.0				
7. गढ़ाकोटा	72.6				
8. राहतगढ़	11.0				
9. कंसली	55.1				
10. मालथोन	44.0				
11. शाहगढ़	36.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	40.0		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूँग, उड़द, तुअर, ज्वार, मक्का, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	63.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. दमोह	87.0				
4. पथरिया	148.0				
5. जवेरा	58.0				
6. तेन्दूखेड़ा	91.2				
7. पटेरा	61.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	111.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	117.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	175.0				
4. नागौद	93.0				
5. उचेहरा	139.0				
6. अमरपाटन	170.0				
7. रामनगर	104.0				
8. मैहर	125.0				
9. बिरसिंहपुर	89.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	79.0		4. (1) गोहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	74.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	73.8				
4. हनुमना	131.8				
5. हुजूर	103.8				
6. गुढ़	114.9				
7. रायपुरकर्चुलियान	94.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	5.90		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बुड़ार	. .		(2) . .		
3. ब्यौहारी	62.0				
4. जैसिहनगर	106.0				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	129.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू जुताई चालू	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	82.4		4. (1) मक्का, सोयाबीन धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	54.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	111.3				
4. पुष्पराजगढ़	110.1				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	94.5		4. (1) धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	13.3		(2) धान समान.		
3. मानपुर	27.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	83.4		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, मूँग, तिल कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	135.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	67.0				
4. कुसमी	70.9				
5. चुरहट	118.5				
6. रामपुरनैकिन	32.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मक्का, उड़द, ज्वार, राहर, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	32.9		4.(1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	4.8		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	70.0				
4. गरोठ	40.9				
5. मंदसौर	32.0				
6. श्यामगढ़	65.8				
7. सीतामऊ	19.6				
8. धुंधड़क्का	38.0				
9. संजीत	59.5				
10. कयामपुर	45.8				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	67.3		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	37.0		(2) . .		
3. मनासा	31.0				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ताल	106.0		4.(1) सोयाबीन, मक्का, कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जावरा	136.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. आलोट	132.0				
4. रावटी	109.0				
5. सैलाना	160.0				
6. बाजना	228.0				
7. पिपलोदा	182.0				
8. रतलाम	140.0				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	8.0		4.(1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	3.0		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	14.0				
5. उज्जैन	27.0				
6. बड़नगर	5.0				
7. नागदा	8.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4.(1) सोयाबीन समान. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	35.0		4. (1) सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	4.8		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. शुजालपुर	15.0				
4. कालापिपल	31.0				
5. गुलाना	13.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	17.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हाटपीपल्या	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टोंकखुर्द	1.0				
4. उदय नगर	18.0				
5. देवास	3.0				
6. सतवास	3.0				
7. बागली	26.0				
8. कन्नोद	21.0				
9. खातेगांव	6.0				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		सोयाबीन, कपास, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	0.6		मूंगफली समान.		
4. झाबुआ	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	67.8		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	88.6		सोयाबीन, कपास, उड़द	चारा पर्याप्त.	
3. चन्द्रशेखर आ. नगर	81.8		अधिक.		
4. कट्टीवाड़ा	112.0		(2) ..		
5. सोंडवा	54.0				
6. उदयगढ़	48.2				
7. भामरा	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	12.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	25.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	23.6				
4. कुक्षी	29.5				
5. मनावर	77.0				
6. धरमपुरी	41.0				
7. गंधवानी	60.0				
8. डही	2.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. बोनी चाल.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	14.0		4. (1) ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	12.1		तुअर अधिक. धान, कपास,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	17.0		कम.		
4. खरगौन	5.0		(2) वर्षा की कमी से फसल		
5. गोगावां	..		बिगड़ी हुई.		
6. कसरावद	41.0				
7. भगवानपुरा	12.4				
8. भीकनगांव	48.0				
9. झिरन्या	10.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	21.6		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटी	16.0		(2) गन्ना, मक्का, ज्वार, अधिक. कपास समान.		
3. ठीकरी	20.0				
4. अंजड	. .				
5. राजपुर	20.0				
6. सेंधवा	55.0				
7. बरला	23.0				
8. पानसेमल	98.0				
9. निवाली	100.4				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. पुनासा	. .				
4. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	35.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	34.4		(2) . .		
3. नेपानगर	15.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	14.4		4. (1) सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार, मक्का, धान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	14.1		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू, जुताई चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	5.0		(2) . .		
3. आष्टा	13.0				
4. जावरा	3.0				
5. इच्छावर	7.0				
6. नसरुल्लागंज	8.0				
7. रेहटी	11.8				
8. बुधनी	40.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	46.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. गौरतगंज	48.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	64.0				
4. गोहरगंज	24.0				
5. बरेली	48.8				
6. सिलवानी	87.4				
7. बाड़ी	43.0				
8. उदयपुरा	164.3				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	21.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	27.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	33.0				
4. चिचोली	123.7				
5. बैतूल	41.2				
6. मुलताई	117.2				
7. आठनेर	72.0				
8. आमला	23.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	56.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	31.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	27.0				
4. इटारसी	56.2				
5. सोहागपुर	62.0				
6. पिपरिया	28.2				
7. बनखेड़ी	62.0				
8. पचमढी	72.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	26.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	39.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	63.4				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य व बोनी कार्य चालू.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	36.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	123.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	65.4				
4. मझोली	17.7				
5. कुण्डमपुर	26.2				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	74.0		4. (1) तुअर, धान, मसूर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	134.0		मटर अधिक. सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	129.0		गन्ना, गेहूँ कम.		
4. गोटेगांव	179.0		(2) ..		
5. तेंदूखेड़ा	92.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	133.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	131.9		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	275.1				
4. मण्डला	127.8				
5. घुघरी	55.0				
6. नारायणगंज	50.9				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, धान रोपाई चालू	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	83.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	115.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	81.3				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	114.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	53.0		(2)	
3. परासिया	94.0				
4. तामिया	187.0				
5. सोंसर	64.9				
6. चांद	90.0				
7. पांडुर्णातामिया	31.8				
8. अमरवाड़ासोंसर	39.2				
9. चौरई	150.4				
10. बिछुआ	118.8				
11. हरई	50.4				
12. उमरेठ	55.4				
14. मोहखेड़ा	105.0				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी कार्य चालू	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	67.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	138.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	157.2				
4. बरघाट	115.4				
5. कुरई	66.0				
6. घंसोर	103.0				
7. घनोरा	182.8				
8. छपारा	87.6				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	65.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	108.7		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	151.0				
4. वारासिवनी	44.0				
5. कटंगी	38.2				
6. किरनापुर	108.4				
7. खैरलाँजी	34.5				
8. लालबर्गा	63.5				
9. बिरसा	135.5				
10. परसवाड़ा	285.6				

टीप :- जिला नीमच, खण्डवा व राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1819)